कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2894 / 12-1 :देहरादूनः 30– मई, 2025.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग– 3

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ–ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या – **FP/UK/ROAD/123339/2021)**

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 की पत्र संख्याः– **1585/X-3-21/1(119)/2021** दिनांक– 22.12.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के पत्रांक 2067/12–1 दिनांक 15.05.2025 एवं 1945/12–1 दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 1,61,000.00 मात्र की धनराशि कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 6,68,464.00 कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक– 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0– एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0सी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव क सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात्	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों रू0 8,29,464.00 मात्र कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है।

	एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों को विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 से सम्बन्धित संलग्न किया गया है। **(संलग्नक– 3)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत 0.665 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के दृष्टिगत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु, कृपया प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 2894 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन महानिदेशक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

87—राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स—0135—2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक— 2067 /12—1 देहरादून, दिनांक, 15 मई, 2025।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :— जनपद देहरादून के विधानसभाग क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमरउ—ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। (FP/UK/Road/123339/2021)

संदर्भ :— आपका पत्रांक 1879/12—1 देहरादून दिनांक 21.01.2025, तथा प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, कालसी का पत्रांक— 5404/12—1, दिनांक— 22, अप्रैल, 2025

महोदय,

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या— 1 के क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थलों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त पत्र मूल में अन्य संगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर आपको संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 5211
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-5-25

भवदीया

(कहकशां नसीम)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2067 /12—1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,कालसी को उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभारी देहरादून
आ० का० करें।
प्र० व० स०/नो०
21-5-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,चकराता।

पत्रांक 5404 /12–1 , चकराता , दिनांक 22 अप्रैल 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हमरउ–ललउ मार्ग से ग्राम–गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(Online proposal No. FP/UK/ROAD/123339/2021)

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या– 1879 / 12–1, दिनांक 21–01–2025 एवं आपका कार्यालय पत्रांक–3401 / 12–1 दिनांक 04.02.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा जारी कतिमय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–1 के कम में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थलो का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–1 में के कम में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थलो का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना मूल प्रति में संलग्नक कर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,चकराता

पत्रांक 5404 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को उपरोक्त विषयक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,चकराता

उपयुक्ता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हमरउ–ललउ मार्ग से ग्राम–गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष कालसी कक्ष संख्या–8 में रिक्त पड़े स्थल जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी,
रीवर रेंज, डाकपत्थर

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन पभाग, चकराता

प्राक्कलन बावत रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड–कालसी के अन्तर्गत हमरऊ–ललऊ मार्ग से ग्राम–गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष कालसी–8 में रिक्त स्थानों पर 100 पौधों का रोपण कार्य करना–

बीट का नामः–कालसी बीट

GPS:- N- 30°31' 17.36" E- 77° 51' 21.04"

रीवर रेंज | चकराता वन प्रभाग | वर्ष 2025–26

क्र0	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	ईकाई	धनराशि	CFY SOR
	प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य करना					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन	0.665	309.40	प्र0है0	205.75	2.1
2	क्षेत्र में लैण्टाना झाड़ी जड़ सहित उखाडना एवं नष्ट करना	0.665	8138.00	प्र0है0	5411.77	2.2
3	आबादी की तरफ वाले क्षेत्र में तारबाड़ फेन्सिंग कार्य करना					
	1–तारबाड़ हेतु सीमेंट का आर0सी0सी0 खम्बा क्रय करना 280 र0मी0 हेतु (2.50 मी0 से 3 मी0 दूरी में 1 खम्बा)	50	622.70	प्र0खम्बा	31135.00	2.3.3.1
	2–खम्बों का सिरबोझ ढुलान (1.00 कि0मी0)	50	2710.50	प्र0सै0प्र0कि0मी0	1355.25	2.3.3.2
	3–खम्बों का वाहन द्वारा ढुलान, लदाई व उतराई सहित लगभग 15–30 कि0मी0	50	49.40	प्र0खम्बा	2470.00	2.3.2.2
	4–खम्बों को गाडने हेतु 20–30 से0मी0 व्यास व 60 से0मी0 गहरे गड्ढा खुदान करना।	50	1372.80	प्र0सै0	686.40	2.3.3.4
	5–खम्बों को गाड़ना	50	843.70	प्र0सै0	421.85	2.3.3.4
	6–तारबाड हेतु तार क्रय करना 280x4=1120rm@9.38kg/100m=105 kg (मय जी0एस0टी0)	105.05	100.00	प्र0कि0ग्रा0	10505.00	2.3.36.6
	7–तार का वृक्षारोपण क्षेत्र तक वाहन द्वारा ढुलान आदि कार्य 280x4=1020rm@9.38kg/100m=105.05 kg (03 रोल)	3	130.00	प्र0रोल	390.00	2.3.3.5
	8–तार का वृक्षारोपण क्षेत्र तक सिरबोझ द्वारा ढुलान आदि कार्य 280x5=1020rm@9.38kg/100m=105.05 kg (03 रोल)	3	97.50	प्र0रोल	292.50	2.3.3.5
	9–5 लड़ में कांटेदार तार खींचना (03 क्षैतिज व 02 क्रॉस)	120	14.30	प्र0र0मी0	1716.00	2.3.3.5
4	निरीक्षण बटिया	0.665	1639.30	प्र0है0	1090.13	2.4
5	गड्ढा खुदान करना (साईज 30x30x45 cm)	100	16.90	प्र0ग0	1690.00	2.5.1.ii
				योग–	**57369.66**	
				या–	**57300.00**	
	द्वितीय वर्ष– वृक्षारोपण कार्य करना					
1	गड्ढा भरान करना (साईज 30x30x45 cm)	100	305.50	प्र0सै0ग0	305.50	3.1.ii
2	पौध तैयार करना तीन वर्ष की कीमत	100	42.01	प्र0पौ0	4201.00	11.4
3	पौधों का रोपण, सर ढुलान एवं थावलाबन्दी करना मय रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित।	100	574.60	प्र0सै0पौ0	574.60	3.8
4	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	526.50	प्र0सै0पौ0	526.50	3.9.i
5	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	228.80	प्र0सै0पौ0	228.80	3.9.ii
8	**अग्नि सुरक्षा कार्य**					
8–1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना (अग्नि सुरक्षा कार्य करना)	0.665	643.50	प्र0है0	427.93	3.16.i
8–2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी0 की चौडी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	0.665	379.60	प्र0है0	252.43	3.16.ii
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	9	1284.92	प्र0है0प्र0माह	5782.14	3.17
				योग–	**12298.90**	
				या–	**12200.00**	
	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (प्रथम वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (द्वितीय वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	

	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (तृतीय वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	षष्ठम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	सप्तम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (पंचम वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	अष्ठम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (षष्ठम वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	नवम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (सप्तम वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
	दशम वर्ष– अनुरक्षण कार्य करना (अष्ठम वर्ष अनुरक्षण)					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में चौकीदारी कार्य करना (10 है0 क्षेत्र में एक श्रमिक का आधार मानकर)	12	1284.92	प्र0है0प्र0माह	10793.33	3.17
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा सफाई कार्य करना	0.665	1023.10	प्र0है0	680.36	3.16
				योग–	**11473.69**	
				या–	**11473.00**	
				कुल योग–	**161284.00**	
				या–	**161000.00**	

प्राक्कलन महोदय की सेवा में स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

R.O

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

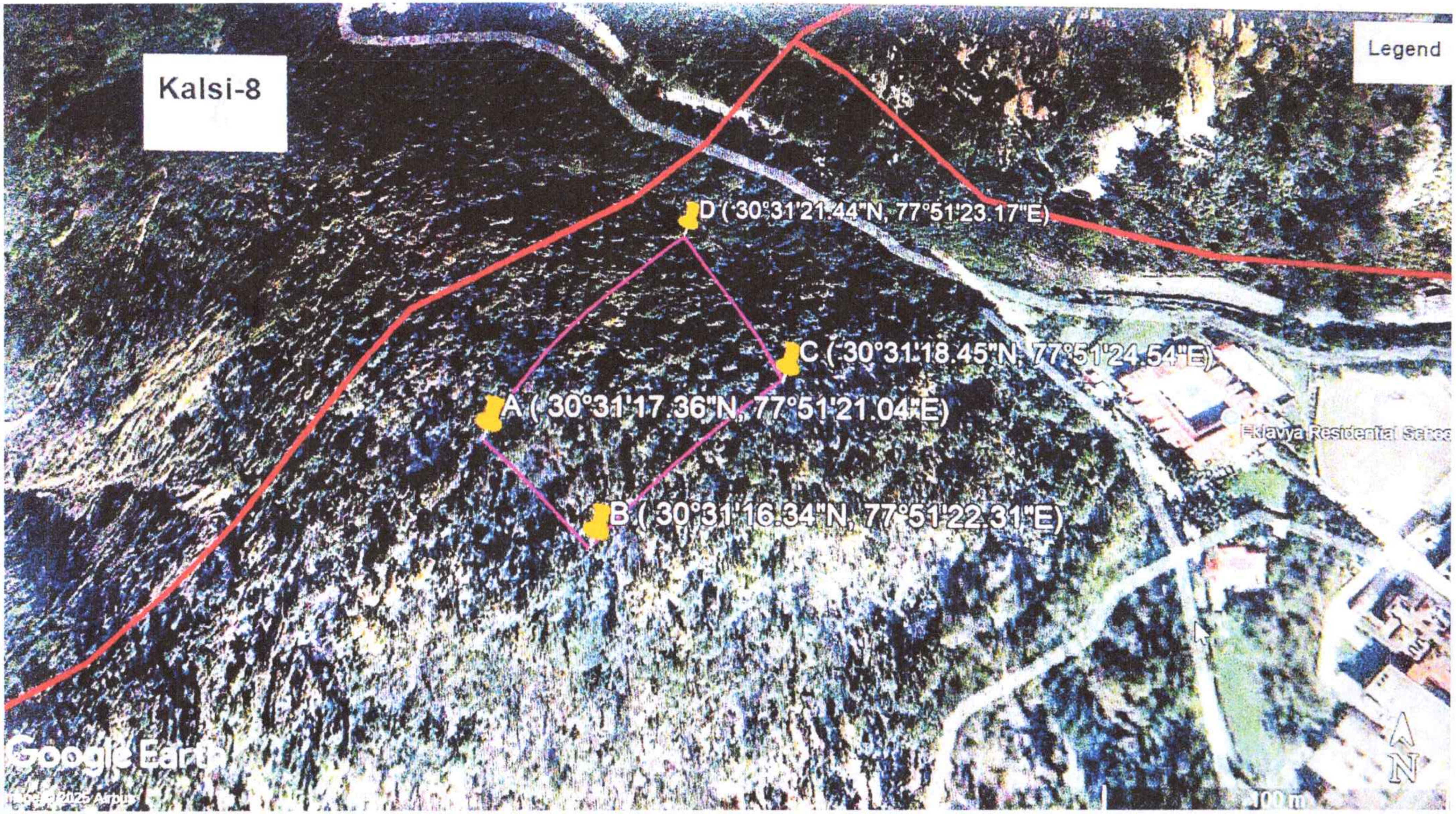

Kalsi-8
Legend
D (30°31'21.44"N, 77°51'23.17"E)
C (30°31'18.45"N, 77°51'24.54"E)
A (30°31'17.36"N, 77°51'21.04"E)
B (30°31'16.34"N, 77°51'22.31"E)
Eklavya Residential Scho
Google Earth
100 m
N

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष–0135–2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक– 1945 /12–1 देहरादून, दिनांक, 26 मई 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ–ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

संदर्भ :– **उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1585/X-3-21/1(119)/2021 दि0 22-12-2021**

महोदय,

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र से प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित बिन्दुवार शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा पत्रांक 5106/12–1 दिनांक 17.05.2022 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। अनुपालन आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी किया गया है।

अतः उक्त अनुपालन आख्या मूल में मय संस्तुति के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

स०अ० / प्रभारी देहरादून
आ० का० मे०

[illegible]
24-5-23

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक 1945 **/12–1** **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 5752
पत्रावली 8002
दिनांक 30/05/23

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड,देहरादून।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 5106, / 12–1 दिनांक , चकराता 17 मई 2023

पत्रावली संख्या 12-1 5520
दिनांक 23/05/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– **जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.665 है0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

संदर्भ :– उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–1585/X–3–21/1(119)/2021 दिनांक 22.12.2021

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई। जिसकी अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया द्वारा अपने पत्र सं0–663/6सी दिनॉक 09.05.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क0 स0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 1,61,000.00 मात्र की धनराशि कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,68,464.00 कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। संलग्नक–1 में निहित है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनको शर्त मान्य हैं। वांछित वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

NEW 3894

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्लैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों रू0 8,29,464.00 मात्र कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। संलग्नक–1 में निहित है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संसतुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाऐगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि एफ0आर0ए0, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में चस्पा है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।

NEW 3895

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

संख्या– 5106 (1)/12-1 उक्त दिनांकित्।
प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3896

संलग्नक (1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 21-01-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	61123339823
MoEF/SG File No.	1(119)/2021
Address.	Executive Engineer,ty.division,PWD,Sahiya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(in Rs)	829464/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eight Lakh Twenty-Nine Thousand Four Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies r

Note:After making the required payment through ci even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epursc

Main Branch Dehradun UNION BANK OF INDIA

25/01/2023

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
साहिया (देहरादून)

ttps://forestsclearance.nic.in/useraccount/Generate

संलग्नक (2)

प्रारूप–51

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ --ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	09/05/23 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया

संलग्नक 3

प्रारूप–34

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया

संलग्नक (1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 21-01-2023

Client Code.	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	61123339823
MoEF/SG File No.	1(119)/2021
Address.	Executive Engineer,ty.division,PWD,Sahiya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(in Rs)	829464/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eight Lakh Twenty-Nine Thousand Four Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies r

Note:After making the required payment through ci even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epursc

Union Bank of India Main Branch Dehradun

25/01/2023

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
साहिया (देहरादून)

.ttps://forestsclearance.nic.in/useraccount/Generate

संलग्नक (2)

प्रारूप–51

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	09/05/23 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया

संलग्नक (3)

प्रारूप–34

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया

संलग्नक (1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 21-01-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	61123339823
MoEF/SG File No.	1(119)/2021
Address.	Executive Engineer,ty.division,PWD,Sahiya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(in Rs)	829464/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eight Lakh Twenty-Nine Thousand Four Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies r

Note:After making the required payment through cl even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epursc

Union Bank of India Multi Branch Dehradun

25/01/2023

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

ttps://forestsclearance.nic.in/useraccount/Generate

संलग्नक (7)

प्रारूप–51

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	09/05/23 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया

संलग्नक (3)

प्रारूप–34

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ –ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया